# न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

## पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व विविध संख्या 58/2008

**वादीः—**

1. लाडकंवर जोजे बख्तावरसिंह, जाति—राजपूत,निवासी—काणदरा, तहसील पाली, जिला पाली,

**बनाम प्रतिवादीगणः—**

1. रूपसिंह पुत्र गुमानसिंह
2. उगमसिंह पुत्र गुमानसिंह
   जातिगण राजपूत, निवासीगण कान्दरा, तहसील पाली जिला पाली
3. चन्दनसिंह पुत्र पाबूसिंह, जाति—पुरोहित, साकिन बापू नगर विस्तार पाली, तहसील पाली, जिला पाली,
4. बाघसिंह पुत्र भोपालसिंह
5. चैनसिंह पुत्र देवीसिंह
6. भीकसिंह पुत्र मोहनसिंह, जातिगण राजपूत, साकिनान् कान्दरा, तहसील पाली जिला पाली जतिगण — राजपूत, निवासीगण—काणदरा, तहसील व जिला पाली
7. कुन्दनसिंह पुत्र जोरसिंह
8. गोपालसिंह पुत्र बख्तावरसिंह, जातिगण — राजपूत, साकिनान् कान्दरा, तहसील पाली, जिला पाली

उपस्थितिः—

1. श्री मदन दास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक वादी
2. श्री दौलत मकवाना, विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण
3. श्री हिम्मत सिह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 7

**अंतर्गत आदेश 39 नियम 2 ए सपठित धारा 151 सी.पी.सी.**

**प्रार्थना पत्र हस्ब आदेश 22 नियम 3, 9 सी. पी. सी. सपठित धारा—151 सी. पी. सी. बाबत् बनाने विधिक प्रतिनिधि मृतक प्रार्थीनी लाडकंवर का प्रार्थी शेरसिंह को एवं प्रार्थना—पत्र अन्तर्गतधारा—5 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22, नियम 3 सपठित धारा—151 सी. पी. सी.**

**दिनांक 08—10—2018**

**—:आदेशः—** दिनांक 27.01.2020

1. प्रार्थी शेरसिंह पुत्र जब्बरसिंह राजपूत, निवासी डरी द्वारा प्रार्थना—पत्र वास्ते हस्ब आदेश 22 नियम 3, 9 सी. पी. सी. सपठित धारा—151 सी. पी. सी. बाबत् बनाने विधिक प्रतिनिधि मृतक प्रार्थीनी लाडकंवर का प्रार्थी शेरसिंह को एवं प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम मय शपथ—पत्र प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया है कि हाजा अनवान का प्रकरण प्रार्थीनी का वादग्रस्त आराजी निस्बत् प्रार्थीनी की ओर से विरूद्ध अप्रार्थीगण के श्रीमान् के न्यायालय मे पेश किया है जो वाद श्रीमान् के न्यायालय मे विचाराधीन है जिसकी आयन्दा पेशी तारीख 22—04—2015 नियत है। उपरोक्त अनवान का विचाराधीन वाद मे प्रार्थीनी लाडकंवर का देहान्त दिनांक 16.10.2014 को हो चुका है जिस मृतक प्रार्थीनी लाडकंवर द्वारा अपने जीवनकाल मे अपनी स्वेच्छा से अपनी स्वअर्जित तमाम अचल सम्पति मय हाजा प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी की वसीयत दिनांक 14.10.2014 को प्रार्थी के हक मे निष्पादित कर

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

दी थी जो प्रार्थी के पक्ष मे निष्पादित वसीयत दिनांक 14.10.2014 प्रार्थीनी लाडकंवर की अन्तिम वसीयत थी व है। चूंकि मृतक प्रार्थीनी लाडकंवर के कोई जायन्दा संतान न थी न रही न आज भी है एवम् न ही उक्त प्रार्थीनी लाडकंवर द्वारा अपने जीवनकाल मे किसी व्यक्ति को गोद ही लिया था एवम् न ही गोपालसिंह पुत्र गुमानसिंह, जाति–राजपूत, निवासी काणदरा, तहसील पाली जिला पाली (राज.) मृतक प्रार्थीनी लाडकंवर का गोदी पुत्र ही है। इन उपरोक्त हालात मे मृतक प्रार्थीनी लाडकंवर द्वारा अपनी स्वअर्जित वादग्रस्त आराजी की वसीयत दिनांक 14.10.2014 प्रार्थी के हक मे निष्पादित करने से प्रार्थीनी लाडकंवर की मृत्यु दिनांक 16.10.2014 को होते ही वादग्रस्त आराजी के खातेदारी हक हकूक प्रार्थी शेरसिंह मे जरिये वसीयत दिनांक 14.10.2014 के निहीत हो चुक थे, रहे एवं है जिससे प्रार्थीनी मृतक लाडकंवर का एकमात्र विधिक प्रतिनिधि प्रार्थी शेरसिंह ही है जिस प्रार्थी को हाजा प्रकरण मे मृतक प्रार्थीनी लाडकंवर के स्थान पर मृतक प्रार्थीनी लाडकंवर का विधिक प्रतिनिधि के बतौर प्रार्थी के नियोजित कर उक्त हाजा प्रकरण मे मृतक वादीनी लाडकंवर की ओर से प्रार्थी को विधिक प्रतिनिधि बना हाजा प्रकरण को चलाने की प्रार्थी को अनुमति प्रदान किया जाना कानूनन् आवश्यक एवं लाजमी है। प्रार्थीनी लाडकंवर द्वारा अपनी स्वअर्जित वादग्रस्त आराजी को अपने जीवनकाल मे अपनी स्वेच्छा से जरिये वसीयत दिनांक 14.10.2014 के प्रार्थी के पक्ष मे निष्पादित कर व्ययन की व्यवस्था कर दी थी एवं प्रार्थीनी लाडकंवर की मृत्यु दिनांक 16.10.2014 को होते ही वादग्रस्त आराजी निस्बत खातेदारी हक हकूक प्रार्थी मे निहीत हो चुके थे व है। ऐसी स्थिति मे हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा–8 व 15 के प्रावधान कानूनन् लागू नही होते है ऐसी कानून की मंशा है। वादग्रस्त आराजी निस्बत् प्रार्थीनी की ओर से विरूद्ध अप्रार्थीगण श्रीमान् के न्यायालय मे विचाराधीन होने की कतई कोई जानकारी प्रार्थी को नही थी। उक्त प्रकरण मे पेशी तारीख 18.02.2015 को अप्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र हस्ब आदेश 22 नियम 3 (2) सपठित धारा–151 सी. पी. सी. का पेश करने पर वकील वादीनी द्वारा प्रार्थीनी लाडकंवर के भाई जब्बरसिंह पुत्र श्री तेजसिंह राजपूत, निवासी–डरी को दिनांक 18.02.2015 को फोन से इतला करने पर वकील प्रार्थीनी के कहने पर दिनांक 28.02.2015 को प्रार्थी वकील प्रार्थीनी से प्रार्थी को जब्बरसिंह के मार्फत इतला होने से वकील प्रार्थीनी के ऑफिस मे सम्पर्क करने पर दिनांक 28.02.2015 को प्रार्थीनी लाडकंवर की ओर से श्रीमान् के न्यायालय मे वादग्रस्त आराजी निस्बत् राजस्व प्रकरण विचाराधीन होने की सर्वप्रथम प्रार्थी को हुई जिससे प्रार्थी की ओर से हाजा प्रार्थना पत्र पेश है। म्याद मुतलिक विस्तृत अर्ज बाबत् प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से साथ पेश है। मृत्यु प्रमाण पत्र जारी दिनांक 01.11.2014 एवत् वसीयत दिनांक 14.10.2014 की नकले प्रमाणित साथ पेश है। शपथ पत्र पेश है।

2. प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र के साथ धारा–5 मयाद अधिनियम के तहत भी अलग से प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3, 9 सपठीत धारा 151 सी. पी. सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने मे हुई देरी को माफ करने का निवेदन कर उक्त प्रार्थना पत्र अन्दर मयाद शुमार कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर हाजा प्रकरण मे प्रार्थीनी लाडकंवर के स्थान पर मृतक प्रार्थीनी लाडकंवर का प्रार्थी को विधिक प्रतिनिधि नियोजित फरमाते हुए उक्त प्रकरण को चलाने की प्रार्थी को अनुमति प्रदान किये जाने का आदेश फरमाया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी का आगे निवेदन रहा कि उपरोक्त प्रार्थना–पत्र के विचाराधीन रहते प्रार्थी शेरसिंह का भी दिनांक 09–07–2018 को देहान्त हो गया जिस पर उसके विधिक वारिसान पूरणसिंह, गजसिंह पिसरान शेरसिंह, भंवर कंवर बेवा शेरसिंह एवं प्रमोदकंवर पुत्री शेरसिंह ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा–151 सी पी सी का प्रार्थना पत्र पेश कर स्वयं को प्रार्थीनी लाडकंवर के कायममुकाम के तौर पर बतौर

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण प्रतिस्थापित करने का निवेदन किया। प्रार्थीगण के उपरोक्त सभी प्रार्थना–पत्रो की प्रतिलिपियां वकील अप्रार्थीगण को दिलाई गई।

3. वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी शेरसिंह द्वारा प्रस्तुत के प्रार्थना–पत्रो का पदानुसार अलग अलग जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थीनी लाडकंवर का देहान्त दिनांक 16–10–2014 को होना स्वीकार है। लाडकंवर का देहान्त दिनांक 16–10–2014 को होने की जानकारी प्रार्थी शेरसिंह को लाडकंवर की मृत्यु की दिनांक से ही बहुत अच्छी तरह से थी व है क्योंकि प्रार्थीनी लाडकंवर, प्रार्थी शेरसिंह की सगी बुआ थी। प्रार्थीनी लाडकंवर के देहान्त दिनांक 16–10–2014 से 90 दिन की अवधि समाप्ति के पूर्व प्रार्थीनी के कायम मुकाम की ओर से आदेश–22, नियम 03 के उपनियम 01 के तहत विधी यानि मयाद अधिनियम के आर्टीकल–120 मे वर्णित मयाद अवधि मे कायम मुकाम को पत्रावली पर प्रतिस्थापित करने हेतू आवेदन पेश नही करने से आदेश–22, नियम 03 के उपनियम–2 के तहत प्रार्थीनी का प्रार्थना–पत्र बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ स्वतः एबेट हो चुका है तथा एबेटमेन्ट अपास्त करने की मयाद भी गुजर चुकी है अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र एबेट हो जाने से खारिज करने योग्य है। प्रार्थी का यह कथन गलत व झूठ है कि मृतक प्रार्थीनी लाडकंवर द्वारा अपने जीवनकाल मे अपनी स्वैच्छा से अपनी स्वअर्जित तमाम अचल सम्पति मय हाजा प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी की वसीयत दिनांक 14.10.2014 को प्रार्थी के हक मे निष्पादित कर दी थी जो प्रार्थी के पक्ष मे निष्पादित वसीयत दिनांक 14.10.2014 प्रार्थीनी लाडकंवर की अन्तिम वसीयत थी व है। बल्कि सही तथ्य तो यह है कि प्रार्थीनी लाडकंवर अपने मृत्यु की दिनांक से करीब 01 माह पूर्व से बहुत अधिक गंभीर हालत मे अस्वस्थ थी एवं मरणासन् स्थिति मे थी तथा अपने भले भूरे का प्रार्थीनी को कोई ज्ञान व ध्यान नही था। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तथाकथित वसीयत प्रार्थीनी के देहान्त के 02 दिन की पूर्व की फर्जी एवं कूटरचित तैयार की गई है। इसके अवाला यहां यह भी उल्लैखनीय है कि तथाकथित वसीयतनामा निष्पादन करने का प्रार्थीनी लाडकंवर को कोई विधिक हक अधिकार नही था क्योंकि प्रथम तो प्रार्थीनी लाडकंवर प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त भूमि की खातेदार काश्तकार नही थी और न है तथा द्वितीय बख्तावरसिंह ने दिनांक 06.11.1968 या अन्य किसी भी तारीख को वादग्रस्त भूमि प्रार्थीनी को बख्शीश नही की, जिस तथ्य की ताईद पत्रावली पर उपलब्ध बैचाणनामो दिनांक 11–05–1972 व बख्शीशनामा दिनांक 18–11–1978 से होती है जो बख्तावरसिंह ने बहक धनसिंह, गिरधारी व गोपालसिंह के पक्ष मे निष्पादन कर पंजीबद्ध करवाये। इसके अलावा यहां यह भी उल्लैखनीय है कि प्रार्थीनी लाडकंवर ने तथाकथित बख्शीश धारा 122 सम्पति अन्तरण अधिनियम के प्रावधानो के तहत स्वीकार नही की अतः तथाकथित बख्शीशनामा विधि अनुसार नही होने से प्रार्थीनी लाडकंवर को वादग्रस्त भूमि मे कोई हक अधिकार उत्पन्न नही हुये जो वसीयत करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। प्रार्थी का यह कथन गलत है कि मृतक प्रार्थीनी लाडकंवर के कोई संतान न थी और न रही व न आज भी है एवम् न ही उक्त प्रार्थीनी लाडकंवर द्वारा अपने जीवनकाल मे किसी व्यक्ति को गोद ही लिया था। प्रार्थी का यह कथन भी गलत व झूठ है कि गोपालसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति राजपूत, निवासी काणदरा, तहसील पाली, जिला पाली मृतक प्रार्थीनी लाडकंवर का गोदी पुत्र है। बल्कि सही तथ्य तो यह है कि उक्त गोदीपुत्र गोपालसिंह के जन्मदाता पिता गुमानसिंह ने अपनी धर्मपत्नि की सहमति से गोपालसिंह को प्रार्थीनी लाडकंवर के पति बख्तावरसिंह पुत्र शिवनाथसिंह जाति राजपूत, निवासी काणदरा, तहसील पाली की गोद मे बिठाकर गोद दिया तथा प्रार्थीनी लाडकंवर के पति बख्तावरसिंह ने अपनी दोनो पत्नियो प्रार्थीनी लाडकंवर व मोहनकंवर की सहमति से राजपूत समाज के जातिगत रिती–रिवाज अनुसार रस्म अदा कर राजपूत समाज की न्यात बुलाकर उक्त गोपालसिंह को अपनी गोद मे

Rahul
सहायक कलेक्टर

Scanned by CamScanner

बिठाकर मोलीया बांधकर गुड धांणे खिलाकर गोद लिया व गोद की सेरेमनी मनाई गई तथा बख्तावरसिंह ने अपने जीवनकाल मे उक्त गोद बाबत एक गोदनामा दिनांक 12–07–1968 को अपने हस्ताक्षर कर निष्पादन किया व पंजीबद्ध करवाया। इस प्रकार प्रकट है कि गोपालसिंह प्रार्थीनी लाडकंवर व बख्तावरसिंह जी का गोदीपुत्र है। उक्त गोदनामा को प्रार्थीनी ने अपने जीवनकाल मे कभी भी चेलेन्ज नही किया। इसके अलावा यहां यह भी उल्लैखनीय है कि विधि मे रजिस्टर्ड गोदनामा के सही होने बाबत न्यायालय उपधारणा करेगा, जब तक की उसे गलत साबित न कर दिया जावे। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है जो उक्त रजिस्टर्ड गोदनामा को गलत साबित करती हो। बल्कि इसके विपरित बख्तावरसिंहजी द्वारा अपने गोदीपुत्र गोपालसिंह के पक्ष मे ग्राम कान्दरा के खसरा नम्बर 512 के रकबा मे से 60 बीघा भूमि के खातेदारी अधिकार जरिये रजिस्टर्ड बख्शीशनामा के बख्शीश किये जो बख्शीशनामा पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त बख्शीशनामा मे भी बख्तावरसिंह जी ने गोपालसिंह को अपना गोदीपुत्र होना दर्ज किया है। उपर दर्ज अनुसार जब प्रार्थीनी लाडकंवर को वसीयत करने का हक अधिकार ही नही था और न ही प्रार्थीनी लाडकंवर ने तथाकथित वसीयत प्रार्थी के पक्ष मे निष्पादन की तो प्रार्थी को लाडकंवर की मृत्यु की दिनांक से वादग्रस्त आराजी मे खातेदारी हक हकूक जरिये वसीयत दिनांक 14.10.2014 के निहित होने बाबत प्रार्थी के तमाम तथ्य कथन गलत व झूठ होने से अस्वीकार है। प्रार्थी, प्रार्थीनी लाडकंवर को एकमात्र विधिक प्रतिनिधी होने बाबत् प्रार्थी का कथन गलत व झूठ है। प्रार्थी, प्रार्थीनी लाडकंवर का विधिक प्रतिनिधी नही है और न ही विधिक प्रतिनिधी के बतौर प्रार्थी नियोजित कर हाजा प्रकरण चलाने का प्रार्थी को कोई हक अधिकार है। यहां यह उल्लैखनीय है कि प्रार्थीनी की मृत्यु की दिनांक से विधि मे वर्णित मयाद अवधि मे आवेदन प्रस्तुत नही करने से बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ प्रार्थीनी का हाजा प्रार्थना पत्र एबेट हो चुका है। प्रार्थी ने एबेटमेन्ट को अपास्त करने के लिये कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया और न ही एबेटमेन्ट को अपास्त करने बाबत् अनुतोष हस्तगत प्रार्थना पत्र मे चाहा है अतः प्रार्थना पत्र एबेटमेन्ट मे खारिज करने का निवेदन है। प्रार्थी का यह कथन गलत व झूठ है कि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 08 व 15 के प्रावधान कानूनन लागू नही होते है। प्रार्थी का यह कथन गलत व झूठ है कि वादग्रस्त आराजी निस्बत प्रार्थीनी की ओर से विरूद्ध अप्रार्थीगण श्रीमान के न्यायलय मे विचाराधीन होने की कतई कोई जानकारी प्रार्थी को नही थी। प्रार्थी का यह कथन भी गलत व झूठ है कि उक्त प्रकरण मे पैशी तारीख 18–02–2015 को अप्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र हस्ब आदेश 22, नियम 03(2) सपठित धारा 151 सी. पी. सी. का पेश करने पर वकील प्रार्थीनी द्वारा प्रार्थीनी लाडकंवर के भाई जब्बरसिंह पुत्र तेजसिंह राजपूत निवासी डरी को दिनांक 18–02–2015 को फोन से इतला करने पर वकील प्रार्थीनी के कहने पर दिनांक 28–02–2015 को प्रार्थी वकील प्रार्थीनी से प्रार्थी को जब्बरसिंह के मार्फत इतला होने से वकील प्रार्थीनी के ऑफीस मे सम्पर्क करने पर दिनांक 28–02–2015 को प्रार्थीनी लाडकंवर की ओर से श्रीमान के न्यायालय मे वादग्रस्त आराजी निस्बत राजस्व प्रकरण विचाराधीन होने की सर्वप्रथम प्रार्थी को हुई। बल्कि सही तो यह है कि प्रार्थी को हाजा प्रकरण की उसकी प्रस्तुती की दिनांक से स्वयं को तथा अपने पिता जब्बरसिंह के जरिये बहुत अच्छी तरह से जानकारी थी। क्योकि प्रार्थी के पिता जब्बरसिंह ने हाजा प्रकरण मे प्रार्थीनी की ओर से लगातार हस्तगत प्रकरण मे उपस्थित आ रहे है। प्रार्थी के पिता जब्बरसिंह भूतपूर्व पटवारी रहे है जो हाजा प्रकरण मे लगातार पेशीयो पर प्रार्थीनी के मुख्तियार की क्षमता मे उपस्थित रहे है। प्रार्थी को अपने पिता जब्बरसिंह के जरिये यह बहुत अच्छी तरह से जानकारी थी कि वादग्रस्त आराजी बाबत हस्तगत प्रकरण विचाराधीन है अतः प्रार्थी का यह तर्क माने जाने योग्य नही है कि उसे हस्तगत प्रकरण की कोई जानकारी नही हो। प्रार्थी ने गलत तथ्य दर्ज कर शपथ पत्र पेश किया है। गोपालसिंह पुत्र बख्तावरसिंह राजपूत निवासी कान्दरा प्रार्थीनी

सहायक कलेक्टर

Scanned by CamScanner

का गोदीपुत्र होकर एकमात्र विधिक उतराधिकारी है, न की प्रार्थी शेरसिंह। उक्त गोपालसिंह पहले से ही पत्रावली पर उपलब्ध है। प्रार्थीनी का विधिक उतराधिकारी कौन है ? उक्त विवाधक को तय करने की अधिकारीता आदेश–22 नियम 05 सी. पी. सी. के तहत आदरणीय न्यायालय को नही है बल्कि सक्षम सिविल न्यायालय को है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से खारिज करने योग्य है। इसके अलावा यहां यह भी उल्लैखनीय है कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे विधि व नियमानुसार पारिणामिक संशोधन दर्ज नही किये है जो दर्ज किया जाने बाबत आज्ञापक प्रावधान है। अतः इस कारण भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधि व नियमानुसार पोषणीय नही होने से खारिज फरमावे तथा प्रार्थीनी का हस्तगत प्रकरण एबेट फरमावे। जवाब प्रार्थना–पत्रों की प्रतिलिपि वकील प्रार्थी को दिलाई गई।

4. प्रार्थी शेरसिंह के उपरोक्त प्रार्थना–पत्रो पर विद्वान अधिवक्तागण उभय पक्षकारान की बहस प्रार्थना–पत्र सुनी गई। वकील प्रार्थी का उनकी बहस के दौरान मुख्य रूप से यह निवेदन रहा कि प्रार्थीनी लांडकंवर के देहान्त दिनांक 16.10.2014 से 150 दिन की मयाद अवधि मे प्रार्थी द्वारा आवेदन पेश किया गया अतः एबेटमेन्ट निरस्त किया जाना कानून्न लाजमी है। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि चूंकि मृतक प्रार्थीनी लाडकंवर द्वारा अपने जीवनकाल मे अपनी स्वेच्छा से अपनी स्वअर्जित तमाम अचल सम्पति मय हाजा प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी की वसीयत दिनांक 14.10.2014 को प्रार्थी के हक मे निष्पादित कर दी थी जो प्रार्थी के पक्ष मे निष्पादित वसीयत दिनांक 14.10.2014 प्रार्थीनी लाडकंवर की अन्तिम वसीयत थी व है। चूंकि मृतक प्रार्थीनी लाडकंवर के कोई जायन्दा संतान न थी और न ही प्रार्थीनी लाडकंवर ने अपने जीवनकाल मे किसी व्यक्ति को गोद ही लिया था अतः गोपालसिंह, मृतक प्रार्थीनी लाडकंवर का गोदी पुत्र ही है। इन उपरोक्त हालात मे मृतक प्रार्थीनी लाडकंवर द्वारा अपनी स्वअर्जित वादग्रस्त आराजी की वसीयत दिनांक 14.10.2014 प्रार्थी के हक मे निष्पादित करने से प्रार्थीनी लाडकंवर की मृत्यु दिनांक 16.10.2014 को होते ही वादग्रस्त आराजी के खातेदारी हक हकूक प्रार्थी शेरसिंह मे जरिये वसीयत दिनांक 14.10.2014 के निहीत हो चुके है जिससे प्रार्थीनी मृतक लाडकंवर का एकमात्र विधिक प्रतिनिधि प्रार्थी शेरसिंह ही है, जिस प्रार्थी को हाजा प्रकरण मे मृतक प्रार्थीनी लाडकंवर के स्थान पर मृतक प्रार्थीनी लाडकंवर का विधिक प्रतिनिधि के बतौर प्रार्थी के नियोजित कर उक्त हाजा प्रकरण मे मृतका लाडकंवर की ओर से प्रार्थी को विधिक प्रतिनिधि बना हाजा प्रकरण को चलाने की प्रार्थी को अनुमति प्रदान किया जाना कानूनन् आवश्यक एवं लाजमी है। तकनिकी आधार पर प्रकरण को एबेट नही किया जाना चाहिये बल्कि मेरीट पर निस्तारित किया जाना विधि अनुसार आवश्यक है। आदेश 22 के तहत प्रार्थना पत्र का निस्तारित करते समय न्यायालय पक्षकारो के अधिकार तय नही करता है और न ही अधिकार तय होते है, पक्षकारो के अधिकार विचारण के बाद तय किये जा सकते है। आदेश 22 नियम 3 का प्रार्थना पत्र उस न्यायालय द्वारा निस्तारित किया जायेगा जहां किसी पक्षकार की मृत्यु हुई है–इन नियम के अन्तर्गत न्यायालय का अर्थ सिविल न्यायालय ही नही है। चूंकि प्रार्थीनी को वादग्रस्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड बख्शीशनामा के प्राप्त हुई अतः प्रार्थीनी वादग्रस्त आराजी की धारा–14 हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत पूर्ण स्वामी थी अतः प्रार्थीनी को वादग्रस्त आराजी वसीयत करने का हक अधिकार था अतः धारा–39 आर टी एक्ट कही लागू नही होती है। आदेश 22 नियम 3 सी. पी. सी. के प्रार्थना–पत्र को आदेश 22 के नियम 9 के तहत माना जा सकता है। विधि मे ऐसी कोई मनाही नही है। अप्रार्थीगण की आपतियां विचारण के दौरान निर्णित की जा सकती है। तकनिकी आपतियां रास्ते मे नही आती है। प्रार्थी

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

ने अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन मे निम्न कानूनी नजीरे पेश किः–2002 (1) आर. आर. टी. पेज 16, 2007 (1) आर. आर. टी. पेज 214, 2015 (1) आर. आर. टी. पेज 613, 2005 (2) आर. आर. टी. पेज 929, 2004 (2) आर. आर. टी. पेज 698, 2010 (1) आर. आर. टी. पेज 167, 2013 (1) आर. आर. टी. पेज 347, 2014 (2) आर. आर. टी. पेज 885, 2009 (2) डी. एन. जे. पेज 623, प्रार्थी के अधिवक्ता ने उपरोक्त नजीरे पेश कर प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. वकील अप्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस मे निवेदन किया गया है कि प्रार्थीनी लाडकंवर का देहान्त दिनांक 16.10.2014 को होना स्वीकार है। प्रार्थीनी लाडकंवर का देहान्त दिनांक 16.10.2014 को होने की जानकारी प्रार्थी शेरसिंह को लाडकंवर की मृत्यु की दिनांक से ही बहुत अच्छी तरह से थी व है तथा अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने वसीयतनामा दिनांक 14.10.2014 मे लिखी ईबारत पढकर बताया कि प्रार्थी शेरसिंह को हस्तगत प्रकरण आदरणीय न्यायालय मे विचाराधीन होने की भी जानकारी थीं। फिर भी प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र मे गलत एवं झूठ तथ्य कथन दर्ज कर आदरणीय न्यायालय को मिसलिड करने की कौशिश की है तथा अपने आवेदन मे प्रार्थी ने इनकरेक्ट और एक्स फेसी फाल्स कथन किये है। अतः विधि अनुसार प्रार्थी आदरणीय न्यायालय से किसी भी प्रकार की दया का पात्र नही है। इसके अलावा प्रार्थी को हाजा प्रकरण की उसकी प्रस्तुती की दिनांक से स्वयं को तथा अपने पिता जब्बरसिंह के जरिये बहुत अच्छी तरह से जानकारी थी। प्रार्थी के पिता जब्बरसिंह भूतपूर्व पटवारी रहे है जो हाजा प्रकरण मे लगातार पेशीयो पर उपस्थित रहे है। अतः प्रार्थी को अपने पिता जब्बरसिंह के जरिये यह बहुत अच्छी तरह से जानकारी थी कि वादग्रस्त आराजी बाबत हस्तगत प्रकरण विचाराधीन है अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थीनी लाडकंवर के देहान्त से 90 दिन की अवधि समाप्ति के पूर्व आवेदन प्रस्तुतं नही हुआ अतः आदेश 22, नियम 03 के उपनियम–2 के तहंत प्रार्थीनी का प्रकरण बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ स्वतः एबेट हो चुका है तथा एबेटमेन्ट अपास्त करने की मयाद भी गुजर चुकी है अतः वादीया का राजस्व प्रकरण एबेट हो जाने से खारिज करने योग्य है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण का यह भी तर्क रहा कि हस्तगत प्रार्थना–पत्र को निस्तारित करने से पूर्व आदेश 22, नियम 5 सी. पी. सी. के तहत न्यायालय को पहले प्रार्थीनी लाडकंवर का विधिक प्रतिनिधि किसे बनाया जावे ? यह बिन्दू तय करना होगा। क्योंकि एक तरफ प्राथी वसीयत के आधार पर तो दूसरी तरफ गोपालसिंह गोदपुत्र होने के आधार पर अपने आप को प्रार्थीनी के स्थान पर प्रतिस्थापित करवाने हेतू निवेदन कर रहे है। इस संबंध मे अधिवक्ता अप्रार्थीगण का तर्क रहा कि चूंकि प्रार्थी स्वयं ने पूर्व मे प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22, नियम 5, 10 सपठीत धारा–151 सी. पी. सी. मे आदेश 6, नियम 17 सपठीत धारा–151 सी. पी. सी. का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर आदेश 22 नियम 5, 10 सी. पी. सी. के स्थान पर आदेश 22; नियम 3, 9 सी. पी. सी. का प्रार्थना–पत्र पेश किया अतः विधि अनुसार आदेश 22 नियम 5 सी पी सी के तहत आवेदन को प्रार्थी स्वयं ने त्याग दिया है अतः विधि अनुसार न्यायालय अब प्रार्थी के आवेदन को आदेश 22, नियम 5 सी. पी. सी. के नीचे तय नही कर सकता है जिसके अभाव मे अब न्यायालय के पास एकमात्र उपचार हस्तगत प्रकरण को एबेटमेन्ट मे खारिज करना ही है। इसके अलावा अधिवक्ता अप्रार्थीगण का यह भी तक रहा कि चूंकि प्रार्थीनी लाडकंवर वादग्रस्त आराजी की खातेदार काश्तकार नही थी, जबकी धारा–39 आर. टी. एक्ट के तहत केवलमात्र खातेदार टीनेन्ट ही वसीयत करने का अधिकारी होता है। यहां खातेदार टीनेन्ट से अर्थ जो राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी मे एज खातेदार टीनेन्ट दर्ज हो से है। इसके अलावा स्वयं प्रार्थी के पिता जब्बरसिंह प्रार्थीनी के मुख्तियार के तौर पर न्यायालय मे दिनांक 20–01–2003 को दिये बयानो मे गवाह जब्बरसिंह ने बयान दिये कि "लाडकंवर बुजुर्ग है, उनकी उम्र 75 वर्ष है कानो से कम सुनते है। लाडकंवर की

Rahi
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

मानसिक स्थिति कमजोर है।" प्रार्थीनी लाडंकवर को खातेदार नही होने से उसे न तो वादग्रस्त भूमि वसीयत करने का अधिकार था तथा प्रार्थी के पिता जब्बरसिंह के बयानो अनुसार प्रार्थीनी लाडकंवर मानसिक रूप से कमजोर थी, इस कारण भी वसीयत करने हेतू सक्षम थी। इसके अवाला पत्रावली पर उपलब्ध बैचाणनामो दिनांक 11–05–1972 व बख्शीशनामा दिनांक 18–11–1978 जो बख्तावरसिंह ने बहक धनसिंह, गिरधारी व गोपालसिंह के पक्ष मे निष्पादन कर पंजीबद्ध करवाये जिसके अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद होकर वादग्रस्त आराजी दावा प्रस्तुतीकरण के पूर्व ही आगे से आगे बैचाण हो चुकी थी अतः वक्त वसीयत से पूर्व वादग्रस्त आराजी आगे से आगे बैचाण हो चुकी थी अतः इस कारण भी प्रार्थी को तथाकथित वसीयत के आधार पर वादग्रस्त आराजी मे कोई हक अधिकार उत्पन्न नही हुआ। इसके विपरित पत्रावली पर प्रार्थीनी के पति बख्तावरसिंह द्वारा अपने जीवनकाल मे गोपालसिंह को गोद लेने बाबत एक गोदनामा दिनांक 12–07–1968 को अपने हस्ताक्षर कर निष्पादन किया व पंजीबद्ध करवाया जिससे प्रकट है कि गोपालसिंह प्रार्थीनी लाडकंवर व बख्तावरसिंह जी का गोदीपुत्र है जो तथ्य हस्तगत प्रार्थना पत्र के अनवान को देखने भी साबित होता जिसमे स्वयं प्रार्थीनी ने गोपालसिंह को बख्तावरसिंहजी का पुत्र होना अंकित किया है। इसके अलावा उक्त गोदनामा को प्रार्थीनी ने अपने जीवनकाल मे कभी भी चेलेन्ज नही किया। धारा–16 हिन्दू दतक एवं भरनपोषण अधिनियम अनुसार रजिस्टर्ड गोदनामा के सही होने बाबत न्यायालय उपधारणा करेगा, जब तक की उसे गलत साबित न कर दिया जावे। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है जो उक्त रजिस्टर्ड गोदनामा को गलत साबित करती हो। बल्कि इसके विपरित बख्तावरसिंहजी द्वारा अपने गोदीपुत्र गोपालसिंह के पक्ष मे वादग्रस्त आराजी मे से खसरा नम्बर 512 के रकबा मे से 60 बीघा भूमि के खातेदारी अधिकार जरिये रजिस्टर्ड बख्शीशनामा के बख्शीश किये जो बख्शीशनामा पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त बख्शीशनामा मे भी बख्तावरसिंह जी ने गोपालसिंह को अपना गोदीपुत्र होना दर्ज किया है अतः गोपालसिंह, प्रार्थीनी लाडकंवर का गोदपुत्र होने से बतौर विधिक वारिस के प्रतिस्थापित किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थी, प्रार्थीनी लाडकंवर का विधिक प्रतिनिधी नही है और न ही विधिक प्रतिनिधी के बतौर प्रार्थी नियोजित कर हाजा प्रकरण को आगे चलाने का प्रार्थी को कोई हक अधिकार है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण का आगे यह भी तर्क रहा कि हाजा प्रकरण प्रार्थीनी लाडकंवर की मृत्यु की दिनांक से विधि मे वर्णित मयाद अवधि मे आवेदन प्रस्तुत नही करने से बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ एबेट हो चुका है। प्रार्थी ने एबेटमेन्ट को अपास्त करने के लिये कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया और न ही एबेटमेन्ट को अपास्त करने बाबत् अनुतोष हस्तगत प्रार्थना पत्र मे चाहा है अतः प्रार्थीनी का प्रकरण एबेटमेन्ट मे खारिज करने का निवेदन है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे नियम–23 रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल पार्ट द्वितीय अनुसार पारिणामिक संशोधन दर्ज नही किये है जो दर्ज किया जाने बाबत आज्ञापक प्रावधान है, इस कारण भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधि व नियमानुसार पोषणीय नही होने से खारिज फरमाने का निवेदन किया तथा अपने तर्को के समर्थन मे निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये :–1988 आर. आर. डी. पेज 23, 2010 (1) डी. एन. जे. पेज 849, 1982 आर. आर. डी. पेज 367, 2009 (1) आर. आर. टी. पेज 28, ए. आई. आर 2007 (एन.ओ.सी.) पेज 1878, ए. आई. आर. 2008 सुप्रिम कोर्ट पेज 2866, ए. आई. आर 2010 (एन.ओ.सी.) पेज 582, ए. आई. आर. 1984 उडीसा पेज 159, 2008 (2) आर. आर. टी. पेज 1247, 1987 आर. एल. डब्ल्यू. पेज 492, 2013 (2) आर. आर. टी. पेज 1415, 2010 (2) आर. आर. टी. पेज 1458, 2012 (3) डी. एन. जे. पेज 1715, 1997 (2) डब्ल्यू. एल, एन. (राज.) पेज 704, अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने उपरोक्त नजीरे पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज कर राजस्व प्रकरण को एबेटमेन्ट मे खारिज करने का निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने विकल्प मे निवेदन किया कि अगर

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

न्यायालय विधिक प्रतिनिधि के बिन्दू को आदेश 22, नियम 5 सी पी सी के तहत विवाधक बनाकर तय करना चाहे तो गोपालसिंह को सायला के विधिक प्रतिनिधि/वारिसं के तौर पर रेकर्ड मे अप्रार्थी से हटाकर प्रार्थी दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

6. हमने दोनो अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया तथा उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरो का सम्मान अध्ययन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। जिसके अनुसार प्रार्थीनी लाडकंवर का देहान्त दौराने राजस्व प्रकरण दिनांक 16.10.2014 हो गया था, लाडकंवर द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 14.10.2014 के आधार पर विधिक प्रतिनिधि के तौर पर प्रतिस्थापित करने हेतू प्रार्थी शेरसिंह ने दिनांक 02–03–2015 को एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22, नियम 5, 10 सपठित धारा–151 सी. पी. सी. मय प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मयाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत किये। प्रार्थी के उक्त प्रार्थना–पत्रो का अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मयाद बाहर प्रस्तुत होने तथा गोपालसिंह के कानूनी वारिस होने और उक्त कानूनी वारिस को कायम मुकाम बनाया जाने हेतू निवेदन किया। जिसको लेकर दोनो पक्षो मे विवाद है। इस संबंध मे हमने अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर 2002 (1) आर. आर. टी. पेज 16 एवं अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरे 2009 (1) आर. आर. टी. पेज 28, ए. आई. आर 2007 (एन.ओ.सी.) पेज 1878, ए. आई. आर. 2008 सुप्रिम कोर्ट पेज 2866, ए. आई. आर 2010 (एन.ओ.सी.) पेज 582, ए. आई. आर. 1984 उडीसा पेज 159, 2008 (2) आर. आर. टी. पेज 1247 का अवलोकन किया जिनके अनुसार किसी मृत व्यक्ति के वारिसान के विनिश्चयन मे विवाद की स्थिति बनने पर न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर विनिश्चय आदेश 22, नियम 5 सी पी सी के तहत करने का प्रावधान है। हस्तगत प्रकरण मे भी मृत लाडकंवर के वारिसान के लेकर विवाद है। प्रार्थी के अनुसार वसीयत के आधार पर विधिक प्रतिनिधि के तौर पर प्रकरण को आगे चलाना चाहता है, जबकी अप्रार्थी गोपालसिंह गोदपुत्र होकर विधिक वारिस होने से कायम मुकाम बनने का हक क्लेम करता है। परन्तु इस संबंध मे यहां यह उल्लैखनीय है कि प्रार्थी शेरसिंह स्वयं द्वारा दिनांक 26–07–2016 को एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा–151 सी. पी. सी. का प्रस्तुत कर अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 02–03–2015 अन्तर्गत आदेश 22, नियम 5, 10 सपठित धारा–151 सी पी सी मे संशोधन कर आदेश 22 के बाद उप–नियम 5 के स्थान पर लाल स्याही से 3 एवं उप–नियम 10 के स्थान पर 9 जरिये संशोधन के अंकित करने का निवेदन किया। अप्रार्थीगण की ओर से उक्त प्रार्थना–पत्र का प्रतिरोध इस आधार पर किया गया कि प्रार्थी शेरसिंह वसीयत के आधार पर तथा अप्रार्थी गोपालसिंह विधिक वारिस होने के आधार पर अपने आप को मृतका प्रार्थीनी लाडकंवर के स्थान पर प्रतिस्थापित करने हेतू निवेदन कर रहे जो विनिश्चयन् न्यायालय द्वारा आदेश 22, नियम 5 सी. पी. सी. के प्रावधानो के नीचे ही कर सकता है। प्रार्थी शेरसिंह का उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 14–03–2017 द्वारा स्वीकार कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 02–03–2015 मे नियम 5 के स्थान पर 3 एवं नियम 10 के स्थान पर 9 अंकित किये जाने की अनुमति प्रदान की तथा प्रार्थी को संशोधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया। जिस पर प्रार्थी तदानुसार संशोधित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22, नियम 3, 9 सपठीत धारा–151 सी. पी. सी. का पेश किया। इस प्रकार आदेश 22 नियम 5 सी. पी. सी. के तहत आवेदन को प्रार्थी स्वयं ने त्याग दिया है। इसके अलावा स्वयं प्रार्थी के पिता जब्बरसिंह ने प्रार्थीनी के मुख्तियार के तौर पर न्यायालय मे दिनांक 20–01–2003 को दिये बयानो मे कहा कि "लाडकंवर बुजुर्ग है उनकी उम्र 75 वर्ष है कानो से कम सुनते है। लाडकंवर की मानसिक स्थिति कमजोर है।" अतः प्रार्थीनी लाडंकवर न तो वक्त वसीयत वादग्रस्त आराजी की खातेदार थी और न ही वसीयत करने हेतू सक्षम थी। पत्रावली पर उपलब्ध बैचाणनामो दिनांक 11–05–1972 एवं बख्शीशनामा

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

दिनांक 18–11–1978 जो बख्तावरसिंह ने बहक धनसिंह, गिरधारी व गोपालसिंह के पक्ष मे निष्पादन कर पंजीबद्ध करवाये, के अनुसार भी वादग्रस्त आराजी प्रकरण प्रस्तुतीकरण के पूर्व ही आगे से आगे बैचाण हो चुकी थी अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार वसीयत से पूर्व वादग्रस्त आराजी आगे से आगे बैचाण हो चुकी थी अतः प्रार्थी को तथाकथित वसीयत के आधार पर वादग्रस्त आराजी मे कोई हक अधिकार उत्पन्न नही होते है।

7. इसके विपरित अप्रार्थीगण द्वारा गोपालसिंह के पक्ष मे बख्तावरसिंह जो प्रार्थीनी लाडकंवर का पति था के द्वारा निष्पादित रजिस्टर्ड गोदनामा एवं बख्शीशनामा पेश किया जिसके अवलोकन से बख्तावरसिंह द्वारा अप्रार्थी गोपालसिंह को गोद लिये जाने के पुख्ता प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त गोदनामा को प्रार्थीनी लाडकंवर ने अपने जीवनकाल मे कभी भी चेलेन्ज नही किया। धारा–16 हिन्दू दतक एवं भरनपोषण अधिनियम अनुसार रजिस्टर्ड गोदनामा के सही होने की न्यायालय द्वारा उपधारणा करने बाबत् आज्ञापक प्रावधान है, जब तक की गोद को गलत साबित न कर दिया जावे। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है जो उक्त रजिस्टर्ड गोदनामा को गलत साबित करती हो। परन्तु वकील अप्रार्थीगण का यह भी तर्क रहा कि पत्रावली पर उपलब्ध बैचाणनामो दिनांक 11–05–1972 एवं बख्शीशनामा दिनांक 18–11–1978 जो बख्तावरसिंह ने बहक धनसिंह, गिरधारी व गोपालसिंह के पक्ष मे निष्पादन कर पंजीबद्ध करवाये, के अनुसार भी वादग्रस्त आराजी दावा प्रस्तुतीकरण के पूर्व ही आगे से आगे बैचाण हो चुकी थी अतः वकील अप्रार्थीगण ने प्रकरण एबेट हो जाने से खारिज करने का निवेदन किया है। अतः उपरोक्त विनिश्चयन के पश्चात् न्यायालय द्वारा यह भी देखना है कि क्या प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विहीत मयाद अवधि मे प्रस्तुत हुआ या नही ? इस संबंध मे पत्रावली का अवलोकन करने पर हम पाते है कि मृतका लाडकंवर के देहान्त दिनांक 16.10.2014 के 90 दिन पश्चात् प्रार्थी द्वारा वसीयत के आधार पर प्रार्थना पत्र दिनांक 02–03–2015 को प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार स्वीकृत विधिक स्थिति अनुसार प्रार्थीनी का प्रकरण बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ एबेट हो चुका था। परन्तु प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र मे उक्त एबेटमेन्ट को निरस्त करने हेतू कोई अनुतोष नही चाहा तथा प्रार्थी द्वारा आवेदन को प्रस्तुत करने मे जो विलंब हुआ उसको माफ करने हेतू जो आवेदन पेश किया उसमे हस्तगत प्रकरण के विचाराधीन होने बाबत् जानकारी नही होना कथन किया जबकी प्रार्थी स्वयं द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा दिनांक 14.10.2014 मे वादग्रस्त आराजी निस्बत् प्रकरण विचाराधीन होने बाबत् तथ्य अंकित है अतः प्रकट है कि प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र मे न्यायालय को मिसलिड करने हेतू झूठे तथ्य कथन दर्ज किये है अतः प्रार्थी न्यायालय से किसी प्रकार की दया का पात्र नही है। इस संबंध मे हम माननीय सर्वोच्च के न्याय दृष्टान्त 2010 (1) डी. एन. जे. पेज 849 जो हस्तगत प्रकरण के तथ्यो पर पूर्णतया चस्पा होता है। उक्त न्याय दृष्टान्त 2010 (1) डी. एन. जे. पेज 849 मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिनिर्धारित किया गया कि Wrong statement made by LR's were not aware of pendency of appeal- One of the LR's examined in trial Court- No sufficient cause-Held, Application dismissied. हस्तगत प्रकरण मे भी प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे गलत तथ्य दर्ज किया कि उसे हस्तगत प्रकरण के विचाराधीन होने की जानकारी नही थी जबकी प्रार्थी का पिता जब्बरसिंह प्रार्थीनी लाडकंवर के मुख्तियार की हैसियत से लम्बे समय से उसके द्वारा प्रस्तुत वाद मे पैरवी कर रहा था तथा प्रार्थीनी के मुख्तियार की हैसियत से न्यायालय मे उक्त वाद मे मगंउपदमक भी हुआ। इसके अलावा प्रार्थी स्वयं द्वारा प्रस्तुत वसीयत मे हस्तगत वाद मे वर्णित आराजी बाबत् प्रकरण विचाराधीन होने बाबत् तथ्य दर्ज है। इस प्रकार प्रकट है कि प्रार्थी ने हस्तगत प्रकरण के विचाराधीन होने की जानकारी नही होने बाबत् अपने प्रार्थना पत्र मे गलत तथ्य अंकित कर आवेदन किये है अतः प्रार्थी ने एक्स फैसी फाल्स कथन किये है अतः देरी से प्रार्थना पत्र पेश

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

करने बाबत् पर्याप्त एवं उचित कारण नही है। इसके अलावा प्रतिस्थापित करने हेतू दिये गये आवेदन पत्र मे, उपशमन को अपास्त करने हेतू कोई अनुतोष पूर्व प्रार्थना पत्र दिनांक 02–03–2015 एवं संशोधन की अनुमति दिये जाने के पश्चात प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 17–04–2017 मे भी नही चाहा गया है अतः उक्त प्रार्थना पत्र को कानूनी नजीर 1987 आर. एल. डब्ल्यू. पेज 492, 2013 (2) आर. आर. टी. पेज 1415, 2010 (2) आर. आर. टी. पेज 1458 अनुसार उपशमन को अपास्त करने का आवेदन नही समझा जा सकता है। कानून का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि सारभूत न्याय प्रदान की प्रक्रिया मे किसी दूसरे पक्ष मे साथ अन्याय नही होना चाहिये। प्रकरण के उपशमन होने के परिणामस्वरूप अप्रार्थी पक्ष के हित मे कानूनी बिन्दू सृजित हो गया है, जिसे सरसरी तौर पर या विधिक प्रावधानो के विपरित उससे छीना नही जाना चाहियें। इस प्रकार प्रार्थी पक्ष द्वारा आदेश 22 नियम 3 व 9 का प्रार्थना पत्र समय पर प्रस्तुत नही करने से वाद मृतक पक्षकार के विरूद्ध स्वत् उपशमित (खारिज) हो गया है।

8. लिहाजा उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण एवं विधिक स्थिति को ध्यान मे रखते हुये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22, नियम 3, 9 सहपठित धारा–151 सी. पी. सी. एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम दिनांक 02–03–2015 (दिनांक 17–04–2017) एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22, नियम 3 सपठित धारा–151 सी. पी. सी. दिनांक 08–10–2018 एतदद्वारा अस्वीकार कर खारिज किये जाते है। फलस्वरूप प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्रकरण उपशमित होना मानकर निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

सहायक कलेक्टर
पाली

यह आदेश आज दिनांक 27.01.2020 को मेरे द्वारा लिखवायां जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2020.01.31 11:41:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: